

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने निगम कर से संबंधित 312 उच्च मूल्य के मामले, जिनमें ₹ 2,459.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु भेजे हैं।

3.1.2 मंत्रालय ने ₹ 119.01 करोड़ (नवम्बर 2015) के कर प्रभाव सम्मिलित हैं के 46 मामलों को इसकी स्वीकृति प्रदान की है। जिनमें शेष 266 मामलों में, विभाग (आईटीडी) ने 15 मामलों को स्वीकृत न करते समय 58 मामले स्वीकृत किए (पैरा 2.6.3 में संदर्भित)। आईटीडी ने शेष 193 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। आईटीडी ने 312 मामले में से 239 मामलों में, ₹ 1,317.17 करोड़ के कर प्रभाव समाविष्ट, उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा 23 मामलों में, ₹ 127.22 करोड़ के कर प्रभाव समाविष्ट उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की (दिसम्बर 2015 तक)।

3.1.3 यह अध्याय 312 निगम कर मामलों पर चर्चा करता है, जिनमें से 292 मामलों में ₹ 2,400.19 करोड़ का कम प्रभार तथा 20 मामलों में ₹ 58.84 करोड़ का अधिक प्रभार³⁴ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- i. निर्धारणों की गुणवत्ता
- ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- iii. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- iv. अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण दर्शाती है।

34 अधिक प्रभार सही आँकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

3.1.5 इस अध्याय के अनुवर्ती खण्डों में, प्रत्येक श्रेणी का पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों के प्रकार को दर्शाता है। चार व्यापक श्रेणियों को आगे समान प्रवृत्ति की गलतियों को दर्शाने के उद्देश्य से उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के प्रावधानों को दर्शाती एक प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होती है तथा उसके बाद उदाहरणों में महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाया गया है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

| तालिका 3.1: निर्धारण में त्रुटियों का विवरण | | | | (₹ करोड़ में) |
|--|-----------|---------------|--|---------------|
| उप श्रेणी | मामले | कर प्रभाव | राज्य | |
| क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ | 43 | 164.63 | बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल | |
| ख. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ | 22 | 150.10 | दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल | |
| ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज | 11 | 39.80 | दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल | |
| घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग | 13 | 33.80 | आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश | |
| ङ. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ | 4 | 38.51 | कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल | |
| जोड़ | 93 | 426.84 | | |

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 मध्य प्रदेश, सीआईटी-II। जबलपुर प्रभार में एओ ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2011-12 के लिए जनवरी 2014 में ₹ 193.54 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए **मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड** की निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। कर योग्य आय की संगणना करते समय 29 सितम्बर 2011 को निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए विवरण द्वारा ₹ 331.34 करोड़ की सही हानि राशि की बजाय शुरुआती आंकड़ा ₹ 197.37 करोड़ की हानि के रूप में गलती से अपनाया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 40.19 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 133.97 करोड़ तक हानि का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154³⁵ के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (दिसम्बर 2014)।*

3.2.2.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-VIII। मुम्बई प्रभार में नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 2301.62 करोड़ के अग्रानीत हानि के सामंजन को अनुमत करने के बाद ₹ 212.58 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2011 में **रिलायन्स कम्प्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** की निर्धारण समीक्षा पूर्ण की। बाद में निर्धारण को फरवरी 2013 में धारा 250³⁶ के अन्तर्गत ₹ 52.75 करोड़ की हानि को निश्चित करते हुए संशोधित की (अगस्त 2012)। संशोधित निर्धारण आदेश में करयोग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 2,514.19 करोड़ की बजाए निवल आय के ₹ 212.58 करोड़ के लिए, जैसा सीआईटी(अपील) (अगस्त 2012) द्वारा स्वीकृत किया गया था, ₹ 265.33 करोड़ की राहत कर ₹ 2,301.62 करोड़ के पहले सामंजन अग्रानीत हानि पर पहुँचा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 17.93 करोड़ का संभावित कर शामिल करते हुए लाभ से

35 एओ द्वारा पारित किसी आदेश में रिकार्ड से स्पष्ट त्रुटियों को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है।

36 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 250 अपीलों में अनुसरण किए जाने वाली विधि को दर्शाती है। सीआईटी(अपील) अपील करने वाले तथा निर्धारण अधिकारी, जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई है, की सुनवाई पर आधारित अपील का निर्णय करेगा। अपील के निपटान पर, कमिश्नर(अपील) उसके द्वारा पारित आदेश को निर्धारिती तथा चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को सुनाएगा।

₹ 52.75 करोड़ की हानि का अधिक अग्रानीत हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2015)।

3.2.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-XI मुम्बई प्रभार में दिसम्बर 2007 में नि.व. 2005-06 के लिए एसकेओएल ब्रूरीज प्रभार लिमिटेड की ₹ 38.43 करोड़ की आय पर समान राशि के अनावशेषित मूल्यहास के समंजन के समक्ष निर्धारण संवीक्षा के बाद में ₹ 92.66 करोड़ की हानि पर जुलाई 2012 में धारा 250 के अन्तर्गत निर्धारण संशोधित किया गया। जुलाई 2012 में संशोधित निर्धारण आदेश में आय की गणना करते समय ₹ 38.43 करोड़ कर के बजाए शून्य आय दिसम्बर 2007 में संवीक्षा निर्धारण के अन्तर्गत अपनाया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.43 करोड़ की हानि के अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.06 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित है। आईटीडी के उत्तर की प्रतीक्षा है (नवम्बर 2015)।

3.2.2.4 दिल्ली, सीआईटी-VII प्रभार में पाईनवुड इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 4.04 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से इसे ₹ 23.68 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 4.04 करोड़ पर संगणना करते हुए कुल योग ₹ 23.57 करोड़ में योग करने के बाद ₹ 11.07 लाख की प्रतिफल आय पर पहुंचा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 19.64 करोड़ की आय के कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 8.87 करोड़ का कर प्रभाव समाविष्ट है। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (सितम्बर 2014)।

3.2.2.5 महाराष्ट्र, सीआईटी-XIV मुम्बई प्रभार में मई 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए एओ ने म्यूजिक ब्रोडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के कुल ₹ 19.25 करोड़ की अस्वीकृति तथा ₹ 2.39 करोड़ के अवमूल्यन को स्वीकृत करने के बाद समान्य प्रावधनों के अन्तर्गत ₹ 5.47 करोड़ की आय पर निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। वर्तमान वर्ष की आय के प्रति ₹ 11.39 करोड़ के अग्रानीत हानियों के सामंजन का दावा करने के बाद निर्धारिती ने आय का शून्य विवरण फाइल किया। करयोग्य आय की संगणना करते हुए एओ ने गलती से अग्रानीत हानि के सामंजन की स्वीकृति से पहले ₹ 11.39 करोड़ की कारोबार आय को कारोबार हानि के रूप में अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप आय के ₹ 22.78 करोड़ तक का कम निर्धारण हुआ। जिसमें ₹ 7.57 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित उसी परिमाण तक का हानि का अधिक अग्रानीत शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

3.2.3 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हम तीन निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम में सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारितियों की ओर से की गई विभिन्न चूकों के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है।

3.2.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए अक्टूबर 2012 में ₹ 724.61 करोड़ की आय पर **वोडाफोन इंडिया लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर मांग की संगणना करते समय एओ ने एक *प्रतिशत* प्रति महीने निर्धारित दर की बजाय धारा 234बी के अन्तर्गत 0.5 *प्रतिशत* की गलत दर पर ₹ 56.72 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 56.72 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2015) तथा मार्च 2014 में धारा 143(3)³⁷ के साथ पठित धारा 147³⁸ के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

3.2.3.2 दिल्ली, डीआईटी-1 प्रभार में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 के लिए अक्टूबर 2012 में संवीक्षा के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 800 करोड़ तथा ₹ 1,850 करोड़ की आयों पर **एमओएल कार्पोरेशन, सीएससी सर्विसेज ऑफ नेवादा इंक** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 31 अक्टूबर 2007 तक फाइल करने की नियम तिथि के प्रति नि.व. 2007-08 के लिए 21 दिसम्बर 2010 पर आयकर विवरण फाइल किया जबकि नि.व. 2008-09 के लिए विवरण 30 सितम्बर 2008 की नियत तिथि के प्रति 29 मई 2009 को फाइल किया। हालांकि विवरण देरी से फाइल किए गए, एओ ने अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत विवरण फाइल करने में देरी के लिए ब्याज उदग्रहण नहीं किया था। चूक के कारण धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 29.87 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2014)।*

37 धारा 143(3) एक एओ द्वारा पूर्ण संवीक्षा निर्धारण को दर्शाता है।

38 धारा 147 के प्रावधान एओ को एक निर्धारण को पुनः खोलने, यदि उसके पास 'विश्वास के कारण' है कि आय निर्धारण से बच गई है, की शक्ति देते हैं।

3.2.3.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-4 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद क्रमशः सितम्बर 2010 तथा अक्टूबर 2010 में प्रदत्त ₹ 10 करोड़ के अग्रिम कर, ₹ 35 करोड़ तथा ₹ 25.01 करोड़ के स्व निर्धारण कर को व्यवस्थित करने के बाद, ₹ 324.23 करोड़ की आय तथा ₹ 110.21 करोड़ का आयकर निर्धारित करते हुए **रीड एंड टेलर (इंडिया) लिमिटेड** के लिए निर्धारण पूरा किया। कर मांग की संगणना करते समय एओ ने धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 27.28 करोड़ की ब्याज की सही राशि के स्थान पर ₹ 6.25 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया। गलती के कारण धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 21.03 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) तथा जनवरी 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।*

3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाए हैं:

धारा 143(3) के अनुसार एओ को प्रावधानों के अनुसार जोड़ने तथा कटौती की अनुमत करने के पश्चात कुल आय का सही निर्धारण करना है तथा सही राशि देय/प्रतिदाय योग्य जैसा मामला हो का भी निर्धारण करना है।

3.2.4.1 तमिलनाडु, सीआईटी-3 चेन्नई में, एओ ने **टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड** नि.व. 2006-07 के लिए दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद ₹ 153.77 करोड़ की आय जिसे बाद में सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभाव देने के लिए जुलाई 2011 में ₹ 110.14 करोड़ में संगणित कर दिया गया, निर्धारण पूरा किया। मामले का बाद में दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2014 में पुनर्निर्धारण किया गया तथा आय क्रमशः ₹ 112.03 करोड़ तथा ₹ 146.93 करोड़ पर निर्धारित की गई। एओ ने दिसम्बर 2011 में पूर्ण पुनर्निर्धारण में ₹ 20.32 करोड़ के प्रतिदाय का निर्धारण किया जो नि.व. 2008-09 (मार्च 2012) की मांग के समायोजित किया। आगे, मार्च 2014 में पूर्ण पुनर्निर्धारण में ₹ 5.7 करोड़ का एक प्रतिदाय निश्चित किया जो ₹ 20.32 करोड़ के पहले प्रतिदाय को ध्यान में रखे बिना नि.व. 2008-09 की बकाया राशि की मांग के प्रति सामायोजित किया। गलती के कारण ₹ 14.62 करोड़ के अधिक प्रतिदाय का निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा*

254³⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (फरवरी 2015)।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारिती द्वारा किसी नि.व. के लिए प्रदत्त कर की राशि उस राशि से अधिक हो जो उस वर्ष के लिए अधिनियम के अन्तर्गत उचित रीति से प्रभार्य है, वह अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार है। धारा 244ए(1) प्रतिदाय पर ब्याज का प्रावधान करता है यदि नियमित निर्धारण या संक्षिप्त रूप में निश्चित प्रतिदाय राशि कर के 10 प्रतिशत से कम न हो।

3.2.4.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 1996-97 के लिए मार्च 1997 में टाटा सन्स लिमिटेड की संवीक्षा निर्धारण पूरी की जो बाद में मार्च 2012 में आईटीडी के आदेश को प्रभाव देने के लिए संशोधित की गई थी। कर प्रतिदाय की संगणना करते समय, निर्धारिती को धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 16.12 करोड़ के ब्याज की सही राशि की बजाय ₹ 25.58 करोड़ का ब्याज मंजूर किया था। गलती के कारण धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 9.46 करोड़ के ब्याज के अधिक भुगतान हुआ। *आईटीडी ने धार 154 के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया तथा सुधार किया (अगस्त 2013)।*

3.2.5 कर एवं अधिभार की गलत दरों को लागू करना

हम ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 143(3) एओ को आय का सही तरीके से पता लगाने और निर्धारण करने का प्रावधान करता है। निर्धारणों की संवीक्षा में विवरण के साथ संलग्न लेखे, रिकार्डों तथा सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तृत जांच करना अपेक्षित है। सीबीटीडी ने भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.2.5.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-11 विशाखापट्टनम प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में ₹ 3,664.20 करोड़ की आय पर **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** की संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया जो बाद में सीआईटी (अपील) के मार्च 2012 में आदेश को प्रभाव देने के लिए ₹ 3,597.28 करोड़ तक संशोधित किया गया। कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने एक प्रतिशत की लागू दरों पर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर लागू नहीं किया। गलती के कारण ₹ 11.87 करोड़ के शिक्षा कर के न लगाने में परिणत हुआ। *आईटीडी ने गलती को स्वीकार किया तथा धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (अप्रैल 2015)।*

39 अपीलीय न्यायालय धारा 254(1) के अन्तर्गत एक सुने जाने का अवसर दोनों पार्टियों को प्रदान करने के बाद अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को पारित कर सकता है।

3.2.5.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी (केन्द्रीय) कानपुर प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में के.एम.शुगर मिल्स लिमिटेड की संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया जो बाद में धारा 154 के अन्तर्गत नवम्बर 2013 में ₹ 204.17 करोड़ की आय पर संशोधित हुआ था। कर मांग की गणना करते समय एओ ने घरेलू कम्पनियों पर लागू 10 प्रतिशत की सही दर की बजाय 7.5 प्रतिशत पर अधिभार लागू किया था। गलती के कारण ₹ 7.9 करोड़ के अधिभार का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने मई 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधार किया।*

3.2.6 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हम ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती एओ के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) के लिए अपील कर सकता है, जो अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आईटीएटी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.6.1 कर्नाटक, सीआईटी मंगलौर प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2013 में आईटीएटी बेंगलूर के आदेश (जून 2013) को प्रभाव देते समय, नि.व. 2006-07 के लिए सिंडीकेट बैंक के मामले में, मार्च 2011 में जारी ₹ 31.46 करोड़ के प्रतिदाय पर विचार नहीं किया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 31.46 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया (मार्च 2015) तथा फरवरी 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती सुधार किया।*

3.2.6.2 पश्चिम बंगाल, सीआईटी 3 कोलकाता प्रभार में, धारा 143(3) (सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 70.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत किया गया वास्तविक निर्धारण) के साथ पठित धारा 251 के अंतर्गत नि. व. 2009-10 हेतु मई 2013 में एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के निर्धारण में संशोधन करते समय एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 8.20 करोड़ की आय निर्धारित की और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण किये बिना उन पर कर उदग्रहण किया। चूंकि, विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक था, एओ को विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर उदग्रहण करना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 4.74 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ। *जुलाई 2014 में आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम अध्याय-VI के अंतर्गत और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विशेष श्रेणियों के लिए कुल आय की संगणना में निर्धारित को रियायतों/छूटों/कटौतियों की अनुमति प्राप्त होती है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ अनियमित रूप से प्रदान किये जिसके लिए वे योग्य नहीं थे। ये अनियमितताएं आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता तालिका 3.2 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनसे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन प्रभावित हुआ है।

| तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों प्रशासन के अंतर्गत त्रुटियों वाली उप श्रेणियां | | | | (₹ करोड़ में) |
|---|------------|-----------------|---|---------------|
| उप श्रेणियां | संख्या | कर प्रभाव | राज्य | |
| क. मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजी हानियों की अनुमत अनियमितताएं | 77 | 1,359.20 | आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल | |
| ख. अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट | 22 | 137.95 | संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल | |
| ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति | 56 | 299.64 | आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल | |
| कुल | 155 | 1,796.79 | | |

3.3.2 मूल्यहास और समंजन की अनुमति और कारोबार/पूँजीगत हानियों के अग्रणीत में अनियमितताएं

हमने नीचे ऐसे कुछ छ: निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि एओ को आय को सही रूप से निश्चित और निर्धारण करना है। विवरण के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की जांच करने की आवश्यकता है। सीवीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

3.3.2.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-। मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के संबंध में ₹ 321.15 करोड़ की अग्रणीत हानि का समंजन करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 314.97 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 हेतु

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 131.13 करोड़ की आय पर नवम्बर 2010 में पूरे किये गये नि.व. 2008-09 के संवीक्षा निर्धारण के अनुसार, नि.व. 2009-10 में समंजन के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। इस त्रुटि के कारण ₹ 109.16 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 321.15 करोड़ की अग्रेनीत हानि के समंजन की गलत अनुमति दी गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपित को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2014) गया।

पूंजीगत लाभ, अधिग्रहण की संगणना के उद्देश्य हेतु, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 55(2)(ख)(V)(ड) के अनुसार जहां पूंजीगत परिसंपत्ति किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में लागत अधिग्रहण का अर्थ है, किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक के रूप में अन्य किसी प्रकार के कंपनी के शेयरों की प्रकार में परिवर्तन पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई; ऐसी परिसंपत्ति के प्राप्त होने वाले स्रोत शेयर या स्टॉक के अधिग्रहणकी लागत के संदर्भ में परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत की संगणना की जाती है। न्यायिक रूप से यह बताया गया⁴⁰ कि ट्रांसफर में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और रूपांतरण हस्तांतरित नहीं है। इसके अतिरिक्त आगे न्यायिक रूप से यह बताया गया⁴¹ कि यदि पूंजी में कमी के संबंध में कोई विचार प्राप्त या उपार्जित नहीं हुआ है, अतः ऐसी हानि एक काल्पनिक हानि है और पूंजीगत हानि के रूप में यह अनुमत नहीं है।

3.3.2.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 776.47 करोड़ और ₹ 470.88 करोड़ आय निर्धारण और धारा 115जेबी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2433.75 करोड़ और ₹ 878.99 करोड़ के खाता लाभ की संगणना करते हुए मई 2013 में नि.व. 2009-10 और 2010-11 हेतु टाटा संस लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2009-10 की कर योग्य आय की संगणना करते समय निर्धारिती ने दावा किया और अन्य लेन-देनों से उत्पन्न ₹ 1,347.91 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के प्रति बिना किसी क्षतिपूर्ति प्राप्ति के पूंजी में कमी के संबंध में ₹ 2,046.97 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजी हानि (एलटीसीएल) का समंजन करना स्वीकृत किया। इसी प्रकार, नि.व. 2010-11 हेतु, निर्धारिती ने एलटीसीजी के ₹ 86.77 करोड़ और टाटा स्टील लिमिटेड के आवश्यक विनिमय अधिमान शेयरों (सीसीपीएस) के रूपांतरण के संबंध में ₹ 776.52 करोड़ के एलटीसीएल के समंजन का दावा किया और ₹ 57.84 करोड़ के लघु अवधि पूंजी लाभ तथा ₹ 631.91 करोड़ की शेष हानि को अग्रेनीत करना अनुमत किया गया था। दोनों वित्तीय वर्षों में निर्धारिती न तो

40 रसिक लाल मानेक लाल बनाम सीआईटी (177 आईटीआर 198)-एससी

41 बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम अपर आयुक्त आयकर-2011(9) टीएमआई 1-आईटीएटी मुम्बई, विशेष शाखा

कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की और न ही अपने बही खातों में ऐसी किसी क्षतिपूर्ति का कोई उपार्जन दर्शाया। विक्रय क्षतिपूर्ति के अभाव में, दावा की गई हानि काल्पनिक हानि थी और इस प्रकार इसे एलटीसीजी के प्रति समंजन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2009-10 में ₹ 1,347.92 करोड़ का कम निर्धारण किया गया और ₹ 699.05 करोड़ को अनियमित रूप से अग्रणीत किया गया। नि.व. 2010-11 में ₹ 12.19 करोड़ एलटीसीजी और ₹ 74.56 करोड़ तथा एसटीसीजी के ₹ 57.83 करोड़ का कम निर्धारण तथा ₹ 631.91 करोड़ के एलटीसीएल को अनियमित रूप से अग्रणीत किया गया। दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 326.48 करोड़ (₹ 305.44 करोड़ + ₹ 21.04 करोड़) का कुल कम उद्ग्रहण कर तथा ₹ 301.60 करोड़ (₹ 158.41 करोड़ + ₹ 143.19 करोड़) के संभावित कर की संगणना की गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और इसके साथ-साथ यह भी कहा (अप्रैल 2014) कि जब तक लेन-देन धारा 47⁴² के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिकार के समापन या छोड़ने में सभी लेन-देन शामिल थे। बैनट कोलमैन एवं कंपनी लिमिटेड बनाम अपर सीआरटी के मामले में निर्णय के संदर्भ में उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था कि यदि पूर्व शेयर को नये शेयरों से स्थानांतरित या बदला गया है, तब उक्त राशि को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। रसिक लाल मानेकलाल बनाम सीआईटी के मामले में अन्य निर्णय में की गई हस्तांतरण में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और परिवर्तन हस्तांतरण नहीं है वह यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एबीबी प्रावधान करता है कि दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए संचित किसी पूंजीगत व्यय और जिसके लिए वास्तव में भुगतान कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है, के संबंध में प्रासंगिक प्रत्येक विगत वर्ष के लिये कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कटौती की राशि ऐसे व्यय की राशि के उपयुक्त भाग के समान होगी।

3.3.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 247.65 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने टेलीकॉम एक्सेस सेवाओं के प्रावधान हेतु 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 19.25 वर्षों की अवधि से अधिक के बही खातों में सरकार को ₹ 1,257.82 करोड़ की एक बार दी जाने वाली लाइसेंस फीस का परिशोधन किया। यद्यपि, निर्धारिती ने दावा किया और उक्त फीस पर

42 पूंजीगत लाभों के उद्देश्यों हेतु स्थानांतरण के रूप में लेन-देनों के संदर्भ में धारा 47 को नहीं माना जाएगा।

25 प्रतिशत की दर पर ₹ 324.16 करोड़ का मूल्यहास अनुमत किया। चूंकि उक्त फीस उस अवधि; जिसके लिए निर्धारिती कंपनी लाभ उपार्जित करेगी, के आधार पर बही खातों में 19.25 वर्षों की अवधि पर परिशोधित की गई थी, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया मूल्यहास अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। प्रासंगिक विगत वर्ष हेतु स्वीकार्य परिशोधन उक्त फीस पर अनुमत ₹ 324.16 करोड़ के मूल्यहास के प्रति ₹ 67.67 करोड़ था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 85.19 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹256.49 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया।
आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) है।

3.3.2.4 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-1। हैदराबाद प्रभार में, एओ ने ₹ 12.46 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य समायोजन के प्रति वृद्धि करने के बाद ₹ 229.53 करोड़ की हानि का निर्धारण करते समय जनवरी 2014 में नि.व. 2009-10 के लिए धारा 92सीए(4)⁴³/144(1)⁴⁴/144(सी)⁴⁵ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत जे.टी. इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से ₹ 72.33 करोड़ की स्वीकार्य हानि के बदले ₹ 241.99 करोड़ की वर्तमान वर्ष की कारोबार हानि गलत मान ली। इस गलती के कारण ₹ 57.70 करोड़ की संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 169.76 करोड़ (₹ 229.53 करोड़-₹ 59.77 करोड़⁴⁶) की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 (जुलाई 2014) के अंतर्गत गलती को सुधार किया।*

3.3.2.5 दिल्ली, सीआईटी-1। दिल्ली प्रभार में, एओ ने ₹1.39 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2011 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2007-08 के लिए एलकाटेल ल्यूसेंट इंडिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 30.16 करोड़ की हानि समंजन करने के बाद 'शून्य' आय पर विवरणी फाईल की। चूंकि निर्धारिती के पास वर्तमान वर्ष में आय से समंजन के लिए कोई अग्रेनीत हानि उपलब्ध नहीं थी, ₹ 30.16 करोड़ का सामंजन अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। इस चूक के कारण ₹ 15.74 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 30.16 करोड़ की आय का कम

43 धारा 92सीए(3) के अंतर्गत ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित आर्म्सलेंथ प्राइस के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना के लिए धारा 92सीए(4) के अनुसार एओ की आवश्यकता है।

44 धारा 144(1) एओ द्वारा पूर्ण की गई इष्टतम न्याय निर्धारण का संदर्भ देता है यदि निर्धारिती एओ द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है।

45 धारा 144सी विवाद निपटान पैनल के मामले के संदर्भ प्रदान करता है।

46 ₹ 59.77 करोड़ = ₹ 72.23 करोड़ - ₹ 12.46 करोड़

निर्धारण किया गया। आईटीडी ने धारा 154 (दिसम्बर 2014) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 71(3) के अनुसार यदि शीर्ष पूंजीगत लाभों के अंतर्गत संगणना का निवल परिणाम हानि है तथा निर्धारिती के पास अन्य किसी आय शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण योग्य आय है, निर्धारिती अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ऐसे समंजन हानि के लिए हकदार नहीं होगा।

3.3.2.6 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी-4, कोलकाता प्रभार निर्धारण वर्ष 2011-12 हेतु सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 18.03 करोड़ की लघु अवधि पूंजीगत हानि और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 422.68 करोड़ का खाता लाभ समंजन करने के बाद शून्य पर मार्च 2014 में वी2 रिटेल लिमिटेड कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। पूर्व वर्षों का अनवशोषित के मूल्यह्रास और कारोबार हानि का समंजन करते समय, विभाग ने निर्धारिती के ₹ 213.42 करोड़ की कारोबार आय के प्रति ₹ 18.03 करोड़ की लघु अवधि पूंजीगत हानि को अनियमित रूप से समंजन करने की अनुमति प्रदान की। इस चूक के कारण ₹ 5.99 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 18.03 करोड़ की कारोबार हानि को अधिक अग्रणीत किया गया। आईटीडी ने जुलाई 2014 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

3.3.3. अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए प्रावधान करती है कि पदार्थ या वस्तु या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से किसी उपक्रम द्वारा ऐसे लाभ और मुनाफों की कटौती प्राप्त की गई है, वह निर्धारिती को कुल आय से अनुमत होगी।

3.3.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार में, एओ ने धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 222.96 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद ₹ 266.20 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। एओ ने धारा 10ए के अंतर्गत कटौती प्रदान करने से पहले ₹ 489.16 करोड़ पर निर्धारिती की निवल कुल आय की गणना की तथा आर्म्स लेंथ प्राइस और इसमें अन्य स्रोतों से आय के संबंध में क्रमशः ₹ 288.14 करोड़ तथा ₹ 6.21 करोड़ का समायोजन शामिल था। चूंकि धारा 92सीए के अंतर्गत हस्तांतरण मूल्य समायोजन तथा धारा 10ए के अंतर्गत कटौती के लिए अन्य स्रोतों से आय योग्य नहीं थी, उन्हें कर के अंतर्गत लाया जाना चाहिए था और केवल शेष राशि ₹ 194.81 करोड़ ही

धारा 10ए के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य थी। इस चूक के कारण ₹ 9.57 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 28.15 करोड़ की कटौती की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का क्रेडिट अग्रेनीत किया जाना तब अनुमत करता है जब कर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान योग्य कर विशिष्ट प्रावधानों के अधीन कर से अधिक हो। यद्यपि, ऐसा क्रेडिट सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर तथा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर को सीमित कर देगा।

3.3.3.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2008-09 हेतु **अल्सटॉम प्रोजैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी** का संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 144.58 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में पूरा किया गया तथा ₹ 17.28 करोड़ की सीमा तक मैट क्रेडिट अनुमत किया गया। निर्धारिती नि व 2007-08 हेतु सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था जबकि नि.व. 2006-07 के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 4.80 करोड़ का कर प्रभारित किया गया क्योंकि सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर शून्य था। चूंकि विभाग द्वारा स्वीकार्य ₹ 17.28 करोड़ के प्रति निर्धारिती बाद के वर्षों में केवल ₹ 4.80 करोड़ ही मैट क्रेडिट के लिए ही उत्तरदायी था। इस गलती के कारण ₹ 12.48 करोड़ के मैट क्रेडिट की अधिक स्वीकृति दी गई। *आईटीडी ने अक्टूबर 2014 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।*

3.3.3.3 कर्नाटक, सीआईटी-III, बेंगलूर प्रभार में, एओ ने ₹ 25.48 करोड़ का आय निर्धारण करते समय नवम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 हेतु **शॉ वॉलेस ब्रीविरीज लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण किया तथा नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 4.0 करोड़ के मैट क्रेडिट स्वीकृत करने के बाद ₹ 2.80 करोड़ की कर मांग की। नि.व. 2007-08 हेतु निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण योग्य आय के बाद पूरी की गई तथा अग्रेषण के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इस चूक के कारण ₹ 5.63 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 4.0 करोड़ की मैट क्रेडिट की गलत अनुमति प्रदान की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और जनवरी 2014 में धारा 154 के अंतर्गत इस त्रुटि में सुधार किया।*

3.3.4 कारोबार व्यय की अनुचित अनुमति

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

धारा 43बी विशेष व्यय करने के प्रति छूट अनुमत करती है जब उक्त को वास्तव में आय की विवरणी फाईल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले पूर्व वर्षों में अदा किया गया हो।

3.3.4.1 कर्नाटक, सीआईटी-1। बेंगलूर प्रभार में, एओ ने ₹ 214.51 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नि.व. 2009-10 के लिए **बेंगलूर इलैक्ट्रीसीटी सप्लाय कम्पनी लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने कर्नाटक सरकार की ओर से उपभोक्ताओं से ₹ 279.82 करोड़ का विद्युत कर एकत्रित किया। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि ₹ 167.29 करोड़ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में जिसका दावा किया गया था, विवरण फाईल करने से पूर्व सरकारी खाते से प्रेषित नहीं किया गया था। इस गलत स्वीकृति के कारण ₹ 56.68 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 167.29 करोड़ की हानि की अधिक संगणना की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (जून 2015) स्वीकार किया और अगस्त 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया गया।*

धारा 43बी विशेष व्यय करने के प्रति छूट अनुमत करती है जब उक्त को वास्तव में आय की विवरणी फाल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले पूर्व वर्षों में अदा किया गया हो। इसके अतिरिक्त, धारा 37(1) के अनुसार कारोबार लाभ और मुनाफों के अंतर्गत प्रभार योग्य आय की संगणना करते समय पूंजीगत व्यय स्वीकृत व्यय नहीं है।

3.3.4.2 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में, एओ ने ₹ 2,295.88 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2010-11 के लिए **पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और 'भूमि क्षतिपूर्ति पर ब्याज हेतु प्रावधान' के संबंध में क्रमशः ₹ 56.34 करोड़ और ₹ 1.72 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई। चूंकि 'भारत सरकार के उर्वरक बॉड को समाप्ति हेतु प्रावधान' स्वरूप में पूंजी है, इसे अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 'भूमि क्षतिपूर्ति पर ब्याज हेतु प्रावधान' को कर लेखापरीक्षक द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में सत्यापित किया गया था और अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। गलत अस्वीकृति के कारण ब्याज सहित ₹ 29.01 के कर प्रभाव के साथ ₹ 58.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने जनवरी 2015 में धारा 148⁴⁷ के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई।*

3.3.4.3 तमिलनाडु, सीआईटी-3, चेन्नई प्रभार में, एओ ने विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 69.84 करोड़ की आय और ₹ 74.07 करोड़ की हानि नि.व.

47 धारा 148, 147 के अंतर्गत पुनः निर्धारण के लिए अधिसूचना जारी करना दर्शाता है।

2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमशः नवम्बर 2010 और दिसम्बर 2011 हेतु **तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. 2008-09 और 2009-10 से संबंधित व्युत्पन्न संविदाओं पर वसूली न की गई हानियों के प्रति क्रमशः ₹ 2.70 करोड़ और ₹ 83.83 करोड़ की कटौती स्वीकृत की। व्युत्पन्न संविदाएं विदेशी विनिमय की वसूली की वास्तविक तिथि के साथ-साथ भारत में प्रतिधारण प्राप्ति की अवधि पर उक्त के निर्भर होने के संबंध में विदेशी मुद्रा के भावी निर्यात और प्राप्ति तथा लाभ या हानि के लिये थे। चूंकि व्युत्पन्न संविदा प्रकृति में आकस्मिक हैं, ₹ 2.70 करोड़ तथा ₹ 51.0 करोड़ की शेष राशि को भी अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। नि.व. 2008-09 और 2009-10 से संबंधित ₹ 53.70 करोड़ की आय के कम निर्धारण के कारण ₹ 91.77 लाख (नि.व. 2008-09) के मैट क्रेडिट की कटौती हुई और ₹ 17.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव शामिल थे। *आईटीडी ने नि.व. 2008-09 और 2009-10 (मार्च 2010) हेतु धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

3.3.4.4 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में, एओ ने ₹ 2,022.71 करोड़ की आय पर फरवरी 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और परिसंपत्तियों पर क्षति हानि हेतु प्रावधान के संबंध में ₹ 40.37 करोड़ की कटौती स्वीकृत की। चूंकि निर्धारिती ने ₹ 40.37 करोड़ की राशि व्यय नहीं की, इसे अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था और कर योग्य आय में जोड़ दी गई थी। गलत स्वीकृति के कारण ₹ 18.09 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 40.37 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (जनवरी 2015) प्रारंभ की।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से रह गई आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की कुल आय वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त हैं, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि एओ ने कर के लिए प्रस्तावित कुल आय का निर्धारण नहीं किया/निर्धारण के अंतर्गत नहीं थी। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को दर्शाता है जो आय निर्धारण से रह गई।

| तालिका 3.3: चूकों के कारण निर्धारण से रह गई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में) | | | |
|---|-----------|---------------|--|
| उप-श्रेणियां | सं. | कर प्रभाव | राज्य |
| क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय | 20 | 93.34 | आंध्र प्रदेश, संघ राज्य चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल |
| ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय | 19 | 77.11 | आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल |
| ग. टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक | 5 | 6.11 | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल |
| कुल | 44 | 176.56 | |

3.4.2 विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधन कर दिया गया है कि परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

3.4.2.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी तिरुपति प्रभार में, एओ ने अधिनियम की सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत 'शून्य' आय और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 78.74 लाख के बुक प्रॉफिट पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 के लिए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। खाता लाभ की संगणना करते समय, एओ ने अग्नेनीत की गई कारोबार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास की राशि कम होने के कारण ₹ 124.96 करोड़ कम कर दिया। चूंकि निर्धारिती के पास ₹ 476.02 करोड़ की अनवशोषित मूल्यह्रास राशि थी और अग्नेनीत कारोबार हानि शून्य थी, उक्त के संबंध में कोई कटौती लागू नहीं थी। इस चूक के कारण ब्याज के साथ ₹ 19.55 करोड़ के कर उद्ग्रहण सहित ₹ 124.95 करोड़ के खाता लाभ का कम निर्धारण किया गया था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और फरवरी 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया गया।

3.4.2.2 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1,317.38 करोड़ और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1,980.72 करोड़ के खाता लाभ की आय, जो बाद में मार्च 2015 में संशोधित कर ₹ 1,969.42 करोड़ हो गई, को मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु **इलाहाबाद बैंक** का निर्धारण पूरा किया। खाता लाभ की संगणना करते समय, निर्धारिती ने दावा किया और शुल्कों हेतु प्रावधानों के प्रति ₹ 122.0 करोड़ की छूट स्वीकृत की। शुल्क बकाया की संभावित देयता के प्रति वित्तीय वर्ष 2008-09 (नि.व. 2009-10 के प्रति) में ₹ 122.0 करोड़ का प्रावधान किया गया था। चूंकि वित्तीय वर्ष 2009-10 (नि.व. 2010-11 के प्रति) के संबंध में लाभ और हानि के प्रति ₹ 122.0 करोड़ का प्रावधान क्रेडिट नहीं किया गया था, उक्त के संबंध में कटौती अस्वीकृत की जानी स्वीकृत थी। परिणामतः मैट क्रेडिट ₹ 98.10 करोड़ से ₹ 79.80 करोड़ तक कम हो गया। *चूक के कारण ₹ 18.30 करोड़ के मैट क्रेडिट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने भी समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से यह निर्णय⁴⁸ लिया गया कि विक्रय कर, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाएगी।

3.4.3.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी, नोएडा प्रभार में, एओ ने ₹ 654.97 करोड़ की आय पर नवम्बर 2012 में नि.व. 2008-09 हेतु **एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने महाराष्ट्र सरकार से ₹ 49.38 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ₹ 49.30 करोड़ की सब्सिडी (कर प्रोत्साहन) प्राप्त की। कर योग्य आय की संगणना करते समय एओ ने अस्वीकृत कर दिया और उन्हें राजस्व प्राप्तियों के रूप में स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सब्सिडी को वापस जोड़ दिया। यद्यपि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी अस्वीकृत नहीं की गई थी और कर योग्य आय में जोड़ दी गई थी। की गई चूक के कारण ₹ 49.38 करोड़ का आय का कम निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 26.18 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने मार्च 2015*

48 फरवरी 2013 में एसीआईटी हिसार बनाम ज़िंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

में धारा 263⁴⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।

धारा 5 में प्रावधान है कि किसी निवासी व्यक्ति के कुल आय में प्राप्त या मानी गई प्राप्त की जाने वाली आय के साथ-साथ उपार्जित अथवा उसे उपार्जित होने वाली मानी गई आय शामिल है।

3.4.3.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-X मुम्बई प्रभार में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1.01 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 हेतु **आईपोग इंटरनेशनल लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। बही खातों के अनुसार, निर्धारिती ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जमा सावधि जमा जो कर के अंतर्गत नहीं थी, के संबंध में ₹ 22 करोड़ का उपार्जित किया के कर चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.48 करोड़ प्रभाव सहित ₹ 22 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने सितम्बर 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

3.4.4 टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक

हमने ऐसे कुछ निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 194 जे में प्रावधान है कि व्यावसायिक सेवाओं, तकनीकी सेवाओं हेतु फीस, रॉयल्टी आदि हेतु फीस अदा करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति से करदाता के खाते से ऐसी राशि के क्रेडिट होने के समय पर या भुगतान से पहले, जो भी पहले हो, 10 प्रतिशत की दर पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त धारा 40(क)(1क) में प्रावधान है कि भुगतान जहाँ टीडीएस की कोई कटौती नहीं की गई है के प्रतिव्यय की कटौती अनुमत नहीं होगी।

3.4.4.1 तमिनाडु, सीआईटी-6, चेन्नई प्रभार में, एओ ने ₹ 9.64 करोड़ की आय, जिसे बाद में सीआईटी(अपील) को आदेश का प्रभाव देने के लिए सितम्बर 2012 में ₹ 8.75 करोड़ तक संशोधित किया गया, को दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 के लिए **सदर्न एग्रीफर्नेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा समाधान न करने के कारण ₹ 65.63 लाख को स्वीकार न करने के बाद लाभ और हानि खाते में ब्रांड यूजरशिप व्यय के प्रति डेबिट किये गये ₹ 5.80 करोड़ में से ₹ 5.14 करोड़ का भुगतान अनुमत किया। यद्यपि, सीआईटी(अपील) ने राहत के रूप में ₹ 65.63 लाख स्वीकृत किये।

49 धारा 263 में प्रावधान है कि यदि प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर यह महसूस करता है कि किसी एओ द्वारा पास किया गया आदेश त्रुटिपूर्ण है जैसाकि राजस्व के हितों में निर्णय दिया जा चुका है तो पास किये गये किसी आदेश के संशोधन किया जा सकता है।

निर्धारिती ने आईएमएफएल उत्पाद, के टाई-अप उत्पादक हेतु संयुक्त करार के अंतर्गत अपने पंजीकृत ट्रेडमार्को के प्रयोग हेतु यूनाईटेड स्पिरिट लिमिटेड के साथ एक करार किया, जिसके लिए निर्धारिती को निवल विक्रय वसूली का दो प्रतिशत अदा करना पड़ा। इस प्रकार ₹ 5.80 करोड़ का व्यय ट्रेडमार्को के प्रयोग हेतु रॉयल्टी के प्रति किया गया था जिस पर दस प्रतिशत की लागू दर पर स्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित थी। चूंकि टीडीएस रॉयल्टी भुगतान पर नहीं किया गया था, यह अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। अस्वीकृत करने की चूक के कारण ₹ 1.97 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 5.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने फरवरी 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

3.5 कर/ब्याज का अधिक-प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि एओ ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में ₹ 58.84 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार वाले 20 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को सटीक रूप से आय का मूल्यांकन और निर्धारण करना है। विवरण के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और सभी दस्तावेजों के साथ विवरण अन्य प्रकार के दावे संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जांच किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.1.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-III हैदराबाद प्रभार में, एओ ने धारा 10बी के अंतर्गत ₹ 80.58 करोड़ की कटौती स्वीकृत करने के बाद 'शून्य' आय पर जनवरी 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **रेन सीआईआई कार्बन (इंडिया) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में, सीमेंट कारोबार के हस्तांतरण पर हानि के प्रति डेबिट की गई ₹ 13.09 करोड़ राशि को वापस जोड़ा यद्यपि एओ ने दोबारा अस्वीकृत कर दिया और संवीक्षा निर्धारण में कर योग्य आय की ₹ 13.09 करोड़ की राशि को वापस जोड़ा। इस गलती के कारण ₹ 4.45 करोड़ के कर के अधिक प्रभार सहित ₹ 13.09 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने मार्च 2014 में धारा 147/144सी(1)⁵⁰ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

50 धारा 144सी(1) दर्शाती है कि यदि वह ऐसे निर्धारिती के हित के लिए निर्णय लिया गया है वापस की गई आय या हानि में किसी विसंगति का प्रस्ताव रखता है तो योग्य निर्धारिती के निर्धारण के प्रस्तावित आदेश के ड्राफ्ट को अग्रोषण किया जाएगा।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को सटीक रूप से आय का मूल्यांकन और निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त, धारा 234बी और धारा 234सी में प्रावधान है कि कर की वह राशि जिस पर निर्धारिती को इन ब्याजों का अदा करना देय है वह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कटौती किये गये किसी कर की राशि द्वारा कम किया जाएगा।

3.5.1.2 दिल्ली, सीआईटी-IV प्रभार में, एओ ने क्रमशः धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 4.18 लाख और ₹ 3.45 करोड़ के ब्याज उद्ग्रहण के साथ-साथ ₹ 26.97 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु एचसीएल कामेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। एओ ने संवीक्षा निर्धारण में निर्धारिती को ₹ 22.11 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट स्वीकृत किया जो ₹ 9.16 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। चूंकि उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट निर्धारित कर से अधिक था, देय नहीं था। इस गलती के कारण धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़ का ब्याज का अधिक उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी ने धारा 154 (नवम्बर 2014) के अंतर्गत इस गलती में सुधार किया।